प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अड़तालीस'

[28/2/2018] परिशिष्ट - 1

प्रश्न सं. [क. 672]

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

कमांक 344/2017/चार/ब– / भोपाल, दिनांक 31 /03/2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–वर्ष 2017–2018 बजट के लिये आवंटनों की संसूचना ।

–:::–

मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक 2017 पारित किया गया हैं।

2. उपरोक्त आवंटन निम्न शर्तों के अधीन किया जाता हैः–

(I) मध्य प्रदेश वित्त संहिता के नियम 118 अनुसार वित्तीय वर्ष की समग्र आवश्यकता का अनुमान लगाने के पश्चात् ही उपलब्ध बजट आवंटन अनुसार सामग्री के कय करने की कार्यवाही की जानी चाहिये। अतः सामग्री के कय के लिये बजट नियंत्रण अधिकारियों को उपलब्ध कराये जा रहे कुल अनुदान का पुनरावंटन संबंधित आहरण अधिकारी को 15 दिवस के भीतर किया जाये जिससे वह तद्नुसार सामग्री कय की कार्यवाही कर सके।

(II) व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय–समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में बजट आवंटन से अधिक न किया जावे।

(III) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये केन्द्र से धनराशि प्राप्ति होने के पश्चात् ही केन्द्रांश तथा समतुल्य राज्यांश का आहरण कोषालय से किया जाना चाहिये । आयोजना तथा आयोजनेतर मद के मद का विभेदीकरण समाप्त किया जा चुका है, अतः सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही इन योजनाओं की राशि आहरित की जाए। जिन योजनाओं /कार्यकमों में प्रतिपूर्ति के आधार पर राशि प्राप्त होती है, राशि व्यय होने के दो माह के अंदर उसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित कराई जावे।

(IV) बजट के कुछ शीर्षों में प्रावधान विभिन्न विकास उपकरों से होने वाली आय से निर्मित विकास एवं कल्याण निधियों से धनराशि अंतरित होने की अपेक्षा में किया गया है। ऐसे मामलों में निधियों में धनराशि अंतरित होने के उपरांत ही आवंटन विमुक्त किया जावेगा। जिन क्षेत्रों / योजनाओं पर विभिन्न निधियों से उपलब्ध धनराशि /बजट प्रावधान का व्यय किया जाना है उनमें वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 1156/चार/ब–1/, दिनांक 28.10.83 एवं कमांक 290/चार/ब–1/86 20.3.86 में निहित निर्देशों के अनुसार इस बाबत् वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिये आवश्यक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जायें।

2.....

3. अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जो आवंटन दिया जायेगा, उसे आयुक्त, कोष एवं लेखा के सर्वर पर प्रविष्ट किया जायेगा।
4. नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत ऋण राशि के वितरण हेतु व्यय के लेखे प्रत्येक माह की 20 तारीख तक प्रेषित किया जावे।
5. निम्नानुसार मदो में कटौती कर शेष राशि का आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है:–

स0क्र0	मद	कटौती प्रतिशत में
1	22–003 कार्यालय फर्नीचर क्रय	10
2	22–008 अन्य आकस्मिक व्यय	10
3	22–013 कार्यालय उपकरण क्रय	10
4	23–001 नवीन वाहन का क्रय	10
5	26 सेमिनार, वर्कशॉप, कांफ्रेंस	10
6	31–006 सफाई व्यवस्था	10
7	31–007 परिवहन व्यवस्था	10
8	33–002 मशीन एवं उपकरण का अनुरक्षण	10
9	33–003 वाहन अनुरक्षण	10
10	33–006 फर्नीचर अनुरक्षण	10
11	42 सहायक अनुदान	10
12	51 अन्य प्रभार	10

6.प्रशासकीय विभाग/बजट नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि गत वित्तीय वर्ष के लंबित देयकों के भुगतान सहित इस वर्ष के सभी व्यय जारी किए गए आवंटन की सीमा के अंतर्गत ही किये जाये । किसी भी स्थिति में अतिरिक्त आवंटन /बजट प्रावधान की प्रत्याशा में कोई देनदारी अथवा कार्य नहीं किया जाये ।

7.वित्त विभाग द्वारा समय–समय सीमा पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें। इस हेतु इन निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी ।

8.बजट संबंधी विस्तृत मांगवार पुस्तिकाएं www. finance.mp.gov.in/ पर उपलब्ध हैं।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

3.....

पृ. क्र345/2017/चार/ब– /   भोपाल, दिनांक 31 /03/2017

प्रतिलिपिः–

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन—————————— विभाग, भोपाल की ओर अग्रषित कर अनुरोध है कि संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा जारी किये जा रहे व्यय पर विभाग स्तर पर भी नियंत्रण रखा जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि बजट नियंत्रण अधिकारी वर्ष के दौरान आवंटन का उपयोग ज्ञाप में दिये गये निर्देशों के अनुसार करें।

4 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल ।

5 आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावारा भवन, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट - 2

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क0 45 / 59 / 18 / ब–1 / चार भोपाल, दिनांक 2 / 01 / 2018

प्रति,
अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
नर्मदा घाटी विकास, जल संसाधन, ग्रामीण विकास,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण एवं ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूंजीगत व्यय सीमा का निर्धारण ।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य के राजकोषीय संकेत्तकों को अपेक्षित स्तर में रखे जाने के लिए पूंजीगत व्यय को सीमित रखा जाना आवश्यक हो गया है।

2 / अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए निम्नांकित प्रमुख विभागों के पूंजीगत व्यय को निम्न तालिका में अंकित धनराशि अनुसार सीमित किया जाता है:–

स.क.	विभाग का नाम	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा (राशि करोड़ रूपये में)
1	नर्मदा घाटी विकास	48	4700	2200
2	जल संसाधन	23,45	4700,4701, 4702,4705	5000
3	लोक निर्माण	24	4059,5054	6000
4	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	20	4215	1200
5	ऊर्जा (उदय योजना छोड़कर)	12	4801	700
6	ग्रामीण विकास	30	4515	2000

3 / उपरोक्त अधिकतम सीमा में विभाग के पूंजीगत व्यय को सीमित करने के लिए विभाग योजनावार प्राथमिकता निर्धारित कर आयुक्त कोष एवं लेखा को दिनांक 16 / 01 / 2018तक अवगत कराने का कष्ट करें। निर्धारित प्राथमिकता में परिवर्तन की आवश्यकता होने पर निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत रहते हुए विभाग आयुक्त कोष एवं लेखा को सूचित कर परिवर्तन कर सकेगा।

12/01/18
(अजीत कुमार)
संचालक बजट एवं सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ0 क0 46/59/18/ब–1/चार/ भोपाल, दिनांक 12/01/2018

प्रतिलिपिः–

आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

12/01/18

संचालक बजट एवं सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग